D-396

Ex.P.-332, 420

II 157
C.J.

Witness No. 02 for Statement 164 Crpc Deposition taken

the 23.02.15 day of Monday Witness's apparent age 55 Y

States on affirmation — my name is Jeetram Yadav

son of H. Rambharos Yadav occupation Senior Assistance

address Shakti nagar in front of Aarogya Hospital Raipur

<u>समय—4:45 बजे</u>

1— मैं वर्ष 1986 में खाद्य आपूर्ति निगम में जिला कार्यालय, जगदलपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्त हुआ था। वर्ष 1995 में मेरी पदोन्नति सहायक के रूप में हुई तथा वर्ष 2002 से वरिष्ठ सहायक के पद पर मुख्यालय रायपुर में पदस्थ हूँ।

2— दिनांक 12/02/2015 को मेरे निवास पर एसी.बी. की टीम द्वारा छापा मारा गया और छत्तीस लाख छह हजार रूपए जप्त किए गए। मुझे लगभग 2 माह पूर्व शिवशंकर भट्ट ने मुख्यालय स्थित उनके कार्यालय में बुलाकर उक्त राशि दी। जब मैंने उन्हें कहा कि मेरे छोटे-छोटे बाल-बच्चे है, मै पैसे अपने पास नहीं रख सकता हूँ तब मुझे शिवशंकर भट्ट ने कहा कि उक्त राशि एम.डी. साहब अनिल टुटेजा को देनी है, कुछ दिन अपने पास रख लो. तब मैने उक्त राशि अपने पास रख ली।

3— खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक जिले से कस्टम मिलिंग राईस लिया जाता है जो जिला प्रबंधक एवं क्वालिटी इंस्पेक्टर द्वारा चावल की मानकता जॉच करने के पश्चात् लिया जाता है। उनके द्वारा मिलर द्वारा उनके पास लाएँ गए चावल की क्वालिटी में कमी निकालकर अवैध राशि की वसूली की जाती है तथा उक्त अवैध राशि में से ही कुछ राशि मुख्यालय में शिवशंकर भट्ट को तथा उनके निर्देश पर अन्य व्यक्तियों को जमा करायी जाती थी।

4— माह जनवरी में शिवशंकर भट्ट के निर्देश अनुसार मेरे पास धमतरी, बालोद, सूरजपूर, गरियाबंद तथा जांजगीर जिलों से जिला प्रबंधक व क्वालिटी इंस्पेक्टर ने मुझे थैलों में पृथक-पृथक पैसे लेकर दिए। मुझे थैलों में जिस प्रकार पैसा प्राप्त होता है उसी प्रकार मैं पैसों के थैले को भट्ट साहब को दे देता था।

5— प्रत्येक जिलें से कमीशन के रूप में जो अवैध वसूली की जाती थी वह नीचे से लेकर उपर तक प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारियों को उनके स्तर के अनुसार बॉटी जाती थी। मेरी भूमिका मात्र इतनी थी कि शिवशंकर भट्ट के निर्देश पर पैसा प्राप्त कर लेता था और दे देता था। इस एवज में मुझे प्रतिमाह कभी तीन हजार, कभी पॉच हजार, कभी सात हजार प्राप्त होते थे।

6— एक बार मेरे द्वारा विरोध करने पर शिवशंकर ने मेरे ऊपर दबाव डाला कि आप वरिष्ठ लोगों की बात नहीं मानते हैं। 12 तारीख को एसीबी की टीम ने मेरे घर के छापे से जो रकम जप्त किया था उसमें से एक कागज संलग्न था जिसमें

P.T.O.

धमतरी जिले के संबंध में कुछ लिखा था, पैसा कहाँ से आया था मुझे जानकारी नहीं है ।

7— शिवशंकर भट्ट का काम निगम में खाद्यान्न के उपार्जन तथा परिवहन का नहीं है, उक्त कार्य महाप्रबंधक एम.एन. प्रसाद राव का है किन्तु शिवशंकर भट्ट ने एम.डी. से अच्छे संबंध होने के कारण करना प्रारंभ कर दिया था ।

नोट :— मैंने कथनकर्ता जीतराम यादव पिता—रामभरोसे यादव को यह समझा दिया कि वह कथन के लिए आबद्ध नहीं है साथ ही कथनकर्ता गिरीश शर्मा से मेरे द्वारा यह भी पूछा गया कि क्या वह कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर, दबाव के कर रहा है अथवा उस पर पुलिस या अन्य किसी व्यक्ति का दबाव है ? कथनकर्ता ने कथन स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर—दबाव के दिया जाना व्यक्त किया । उसे कथन पढ़कर सुना दिया गया है । उसने उसका सही होना स्वीकार किया है । उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा एवं सही वृतांत है ।

वाचित / स्वीकृत

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

मेरे निर्देश पर टंकित

(उदयलक्ष्मी परमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
रायपुर(छ.ग.)

साक्षी का हस्ताक्षर ....

True copy